



Haryana Government Gazette

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 34-2020]

चण्डीगढ़, मंगलवार, दिनांक 25 अगस्त, 2020
(3 भाद्र, 1942 शक)

विधायी परिशिष्ट

क्रमांक	विषय वस्तु	पृष्ठ
भाग I	अधिनियम कुछ नहीं	
भाग II	अध्यादेश कुछ नहीं	
भाग III	प्रत्यायोजित विधान 1. अधिसूचना संख्या सांका०नि० 8/संवि०/अनु० 309/2020, दिनांक 21 अगस्त, 2020— हरियाणा औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग मुख्यालय (ग्रुप ग) सेवा (संशोधन) नियम, 2020. (प्राधिकृत अंग्रेजी अनुवाद सहित)	177—178
भाग IV	शुद्धि-पच्ची, पुनः प्रकाशन तथा प्रतिस्थापन कुछ नहीं।	

भाग-III**हरियाणा सरकार**

कौशल विकास तथा औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग

अधिसूचना

दिनांक 21 अगस्त, 2020

संख्या सांका० 8/संवि०/अनु० 309/2020 - भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, हरियाणा औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग मुख्यालय (ग्रुप ग) सेवा नियम, 2013, को आगे संशोधित करने के लिये निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. ये नियम हरियाणा औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग मुख्यालय (ग्रुप ग) सेवा (संशोधन) नियम, 2020, कहे जा सकते हैं।
2. हरियाणा औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग मुख्यालय (ग्रुप ग) सेवा नियम 2013 में, परिशिष्ट ख में,-
 - I. क्रम संख्या 11 के सामने, खाना 3 के नीचे, विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:-
 - “(i) 10+2 ;
 - (ii) 80 शब्द प्रति मिनट की गति से हिन्दी आशुलिपि तथा 15 शब्द प्रति मिनट की गति से उसका प्रतिलेखन ;

या

100 शब्द प्रति मिनट की गति से अंग्रेजी आशुलिपि तथा 20 शब्द प्रति मिनट की गति से उसके प्रतिलेखन में आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षा पास करनी अपेक्षित है जिसमें 4 प्रतिशत से अधिक गलती नहीं होनी चाहिए।

 - (iii) मैट्रिक या उच्चतर शिक्षा में एक विषय के रूप में हिन्दी या संस्कृत ।”
- II. “दसवीं या उच्चतर शिक्षा स्तर तक हिन्दी/संस्कृत” शब्द तथा चिह्न, जहां कहीं भी आएंगे, के स्थान पर, “मैट्रिक या उच्चतर शिक्षा में एक विषय के रूप में हिन्दी या संस्कृत” शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

विजेन्द्र कुमार,
प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,
कौशल विकास तथा औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग।

HARYANA GOVERNMENT**SKILL DEVELOPMENT AND INDUSTRIAL TRAINING DEPARTMENT****Notification**

The 21st August, 2020

No. G.S.R. 8/Const./Art.309/2020.— In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution of India, the Governor of Haryana hereby makes the following rules further to amend the Haryana Industrial Training Department, Headquarter (Group C) Service Rules, 2013, namely:-

1. These rules may be called the Haryana Industrial Training Department, Headquarter (Group C) Service (Amendment) Rules, 2020.
2. In the Haryana Industrial Training Department, Headquarter (Group C) Service Rules, 2013 (hereinafter called the said rules), in Appendix B,-
 - I. Under column 3, against serial number 11, for existing entries, the following entries shall be substituted, namely:-
 - “(i) 10+2;
 - (ii) Required to pass test organized by Commission in Hindi shorthand at a speed of 80 words per minute and transcription thereof at a speed of 15 words per minute or English shorthand at a speed of 100 words per minute and transcription at a speed of 20 words per minute with mistake not exceeding 4 per cent;
 - (iii) Hindi/Sanskrit as one of the subject in Matric or Higher Standard.”
 - II. For the words and sign “Hindi/Sanskrit upto Matric standard or Higher Education” wherever occurring, the words and sign “Hindi/Sanskrit as one of the subject in Matric or Higher standard” shall be substituted.

VIJAYENDRA KUMAR,
Principal Secretary to Government of Haryana,
Skill Development and Industrial Training Department.